संशोधन

संख्या : 30/2016/509/छप्पन-2016-93/2014

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2016

विषय :वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 38 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष के इंगित मद से पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1100/ना0उ0नि0/लेखा/पुनर्विनियोजन/16, दिनांक 22-03-2016 के क्रम में शासनादेश संख्या- 27/2016/337/छप्पन-2016-93/2014, दिनांक 21-03-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इंगित पुनर्विनियोग के शासनादेश दिनांक 21-03-2016 बी0एम0-9 भाग-1 के लेखा शीर्षक-2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय के मानक मद-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के कॉलम -6 में इंगित धनराशि रूपये 489 हजार के स्थान पर रूपये 389 हजार होना चाहिए, जो त्रुटिवश रूपये 489 हजार अंकित हो गया है, के क्रम में प्रपत्र के कॉलम -6 का योग रूपये 81235 हजार के स्थान पर रूपये 81135 हजार होना चाहिए। इसी प्रकार प्रपत्र के कॉलम -10 एवं 11 में अंकित रूपये 211 हजार के स्थान पर रूपये 411 हजार होना चाहिए था, जिस कारण कॉलम-12 में रूपये 944 हजार लिखा गया है, के स्थान पर रूपये 1144 हजार होना चाहिए। तदनुसार कॉलम-12 के योग में भी रूपये 168462 हजार के स्थान पर रूपये 168662 हजार होना चाहिए।

2- उक्त टंकण त्रुटि एवं वित्त विभाग के परीक्षण के पश्चात निर्गत शासनादेश संख्या- 27/2016/337/छप्पन-2016-93/2014, दिनांक 21-03-2016 के कॉलम-6 में अंकित धनराशि रूपये 489 हजार के स्थान पर रूपये 389 हजार एवं कॉलम-6 के योग रूपये 81235 हजार के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थान पर रूपये 81135 हजार तथा कॉलम -10 एवं 11 में इंगित रूपये 211 हजार के स्थान पर रूपये 411 हजार तथा कॉलम-12 में इंगित धनराशि रूपये 944 हजार के स्थान पर रूपये 1144 हजार तथा कॉलम-12 के योग में अंकित धनराशि रूपये 168462 हजार के स्थान पर रूपये 168662 हजार पढ़ा जाय।

3- उक्तानुसार शासनादेश संख्या- 27/2016/337/छप्पन-2016-93/2014, दिनांक 21-03-2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

पृ0सं0 : 30/2016/509(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।